रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30072026-274965
CG-DL-W-30072026-274965

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जुलाई 19—जुलाई 25, 2026, शनिवार/ आषाढ 28—श्रावण 3, 1948
No. 25] NEW DELHI, JULY 19—JULY 25, 2026, SATURDAY/ASHADHA 28— SHRAVAN 3, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए और आय-कर अपीलीय अधिकरण, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 1984; आय-कर अपीलीय अधिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1984,जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-3; आय-कर अपीलीय अधिकरण, बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द, समूह 'ग'पद भर्ती नियम, 2015 और आय-कर अपीलीय अधिकरण, लिपिकीय समूह 'ग'पद भर्ती नियम, 2019 से है,उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आय-कर अपीलीय अधिकरण में उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-2, अवर श्रेणी लिपिक, स्टाफ कार ड्राइवर और बहु-कार्य कर्मचारिवृन्दके पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने केलिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर अपीलीय अधिकरण (समूह 'ग'पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

2. लागू होना.-ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2)सेस्तंभ (4)में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधितअन्य बातें वेहोंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5)से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागूस्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद है अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	122*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग'अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500 रु.- 81,100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जानेवाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जानेवाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशामें लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि यदिकोई हो।**
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियोंद्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।
(10)

(i) 75 प्रतिशत पद ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और

(ii) 25 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

टिप्पण: विभागीय परीक्षा के लिए अर्हक सेवा, आयकर अपीलीय अधिकरण में अवर श्रेणी लिपिक के वर्ग में पांच वर्ष की नियमित सेवा होगी।

(11)

प्रोन्नति

(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500 रु–81,100 रु.)के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उक्त श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है;

(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा: सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए अर्हक सेवा, आय-कर अपीलीय अधिकरण में अवर श्रेणी लिपिक वर्ग में पांच वर्ष की नियमित सेवा होगी।

टिप्पण1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो,-

(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीयअधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीनवर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उपाध्यक्ष, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - अध्यक्ष 2. सदस्य, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - सदस्य	लागू नहीं होता।

3. रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. आशुलिपिक श्रेणी-2	05*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग'अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स मेंस्तर-4 (25,500 रु.- 81,100 रु.)	लागू नहीं होता।

(6)
18 से 27 वर्ष के बीच आयु। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण**:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।

(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयसे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता; (ii) कौशल परीक्षण मापदंड श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट, 10 मिनट तक; **प्रतिलेखन**: कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी में) या 65 मिनट (हिंदी में)।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष

(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि की अनुपस्थिति के कारण होने वाली रिक्तियां केंद्रीय सरकार में सदृश्य पदों पर कार्यरत और जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उपाध्यक्ष, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - अध्यक्ष 2. सदस्य, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - सदस्य 3. रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. अवर श्रेणी लिपिक	188*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग'अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स मेंस्तर-2 (19,900 रु.-63,200 रु.)	अचयन

(6)
18 से 27 वर्ष के बीच आयु। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत होगी और जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं हो, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन के प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ।

(7)	(8)	(9)
अनिवार्य अर्हताएं : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयया समकक्ष से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्द या हिंदी में प्रति मिनट 30 शब्द की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 डिप्रैशन के औसत पर 10500 की डिप्रैशन प्रति घंटा या 9000 की डिप्रैशन प्रति घंटे के अनुरूप 35 शब्द और 30 शब्द प्रति मिनट)।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां, स्तंभ (11) में दर्शाई गई सीमा तक	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । प्रोन्नति की दशा में शून्य ।

(10)
(i) कर्मचारी चयन आयोगके माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 85 प्रतिशत; (ii) रिक्तियों के 10 प्रतिशत पद,वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000 रु. - 56,900 रु.) में कार्यरत समूह 'ग"(बहुकार्य कर्मचारिवृन्द)के ऐसे कर्मचारियों में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे, जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या समकक्ष अर्हित हो, और उक्त श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । परीक्षा के लिए अर्हक आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष होगी । (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) (iii) रिक्तियों के पांच प्रतिशत पदवेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000रु.-56,900 रु.) में समूह 'ग'कर्मचारी (बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) जिन्होंने उक्त पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, में से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरे जाएंगे ।

(11)
(i) रिक्तियों के 10 प्रतिशत पद वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000 रु. - 56,900 रु.) के समूह 'ग'(बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) के ऐसे कर्मचारियों में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे, जिन्होंने मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1 :** सामान्य अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की अर्हक अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष तक है । **टिप्पण 2 :** यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लें, स्तंभ (10) के खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों को बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने में विचार किया जाएगा जिससे पिछली परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जाएगा । (ii) रिक्तियों के पांच प्रतिशत पद वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000रु.-56,900 रु.) के समूह 'ग'(बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) के ऐसे कर्मचारी जो उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, में से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरे

जाएंगे ।	
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उपाध्यक्ष, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - अध्यक्ष 2. सदस्य, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - सदस्य 3. रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. स्टाफ कार ड्राइवर	50*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग'अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900 रु.-63,200 रु.)	लागू नहीं होता ।

(6)
18 से 25 वर्ष के बीच आयु। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) *यदि सीधे भर्ती "सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा" के माध्यम से की जानी हो तो आयुसीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होगी।

(7)
अनिवार्य अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्डसे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iii)मोटर कार चलाने हेतु वैध चालक अनुज्ञप्ति धारक हो; और (iv) मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान हो (अभ्यर्थी वाहन में उत्पन्न होने वाली छोटी-मोटी खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); वांछनीय) : गृह रक्षक या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा । **टिप्पण 1**:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2**:- अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में

उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए** : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: आय-कर अपीलीय अधिकरण के ऐसे नियमित डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-1 (18,000रु. -56,900रु.) में कार्यरत समूह 'ग' कर्मचारियों (बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द) में से, जो मोटर कार चलाने हेतु वैध चालक अनुज्ञप्ति धारक हों, और मोटर कार चलाने की दक्षता का आकलन करने के लिए आयोजित चालन परीक्षण के आधार पर सक्षम हों; ऐसे कर्मचारी उपलब्ध न होने की स्थिति में, केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर के पद पर कार्यरत या 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-1 (18,000 रु. -56,900 रु.) में कार्यरत नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो स्तंभ (7) में उल्लिखित अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करते हों। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	**(13)**
विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उपाध्यक्ष, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - अध्यक्ष 2. सदस्य, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - सदस्य 3. रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द	298*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ग'अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000 रु. -56,900 रु.)	लागू नहीं होता।

(6)
18 से 25 वर्ष के बीच आयु। **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(7)	(8)	(9)
मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उपाध्यक्ष, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - अध्यक्ष 2. सदस्य, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई - सदस्य 3. रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, आय-कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई -सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 12018/1/2020-प्रशा.-3 (भाग-2)/ई.149592)]

एन. नायक, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 14th July, 2026

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Income-tax Appellate Tribunal, Staff Car Driver Recruitment Rules, 1984; the Income-tax Appellate Tribunal (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 1984, in so far as they relate to the post of the Stenographer Grade III; the Income-tax Appellate Tribunal, Multi-Tasking Staff, Group ‘C’ Post Recruitment Rules, 2015; the Income-tax Appellate Tribunal, Clerical Group ‘C’ Posts Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk, Stenographer Grade II, Lower Division Clerk, Staff Car Driver and Multi-Tasking Staff, in the Income-tax Appellate Tribunal, namely :-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Income-tax Appellate Tribunal (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached to the said posts shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.-** No person,-

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification**	**Level in pay-matrix**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruitment**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Upper Division Clerk.	122*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay-matrix (₹25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)
(i) Seventy-five per cent. by promotion on the basis of Seniority-cum-fitness, failing which by deputation; and (ii) Twenty-five per cent by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination. **Note**: The eligibility service for the Departmental Examination shall be five years regular service in the Lower Division Clerk grade in the ITAT.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: i. Lower Division Clerk in level-4 in the pay matrix (₹ 25500-81100) with eight years regular service in the grade. ii. Limited Departmental Competitive Examination: The eligibility service for the Limited Departmental Competitive Examination shall be five years regular service in Lower Division Clerk grade in the Income Tax Appellate Tribunal. **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion,

their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 of the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendation of the pay commission.

Deputation:

Officers of the Central Government, -

(i) holding analogous posts on a regular basis; or

(ii) with Eight years' regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Vice-President, Income-tax Appellate Tribunal -Chairperson, Mumbai ; 2. Member of Income-tax Appellate Tribunal - Member, Mumbai; 3. Registrar or Deputy Registrar, Income-tax Appellate Tribunal - Member, Mumbai.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Stenographer Grade II.	05*(2026) *Subject variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay-matrix (₹25500-81100).	Not Applicable

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	**(8)**	**(9)**
i. 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University ii. Skill Test Norms Dictation: 10 minutes at 80 w.p.m Transcription: 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi) on computer	Not Applicable	Two years

(10)	**(11)**
By direct Recruitment through the Staff Selection Commission.	Not Applicable

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts and possessing the qualification prescribed for the direct recruits at Col. 7.	

(12)	(13)
Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - **1.** Vice-President, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai -Chairperson; **2.** Member of Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai - Member; **3.** Registrar or Deputy Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai -Member.	Not Applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Lower Division Clerk.	188*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay-matrix (₹19900-63200).	Non-selection.

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be as Fixed by the Staff Selection Commission (where recruitment is not through SSC, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)
Essential qualifications: (i) 12th class pass from a recognised Board or University or equivalent; (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on Computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour/9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word).	**Age:** No Educational Qualification: Yes, to the extent indicated in the column (11).	Two years for direct Recruits. Nil for promotees

(10)	(11)
(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff (Multi-tasking Staff) in level-1 in the pay matrix (₹18000-56900) and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the Grade, on the basis of Departmental Qualifying Examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the SC/ST) (iii) five per cent. of the vacancies shall be filled on Seniority cum fitness basis from Group ‘C’ employees (Multi-tasking Staff) who have completed three years of regular service in the posts in level – 1 in the pay Matrix (₹18000-56900)	i) ten per cent. of the vacancies shall be filled from amongst Group 'C' staff (Multi-tasking Staff) in level-1 in the pay matrix (₹18000-56900) and who possess 12th class pass from a recognized Board and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of Departmental qualifying examination. **Note 1**.- The maximum age-limit for eligibility for examination is up to the age forty-five years in case of general candidates and upto fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. **Note 2**: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) of Col. 10 qualifies at the examination, such excess numbered of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier

	examination are considered before those who qualify at a later examination. ii) Five per cent. of the vacancies shall be filled on Seniority-cum-fitness basis from Group `C' employees (Multi-tasking Staff) who have completed three years of regular service in the posts in level-1 in the pay matrix (₹18000-56900)

(12)	(13)
Departmental Confirmation/Promotion Committee (for considering confirmation/ promotion) consisting of: - 1. Vice-President, Income-tax Appellate Tribunal Mumbai - Chairperson; 2. One Member of Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai - Member; and 3. Registrar or Deputy Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai - Member	Not Applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. **Staff Car Driver**	50*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay-matrix (₹19900-63200).	Not applicable

(6)	(7)
Between 18 and 25 years of age (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and noy the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) *If the direct recruitment is to be made by "direct open competitive Examination", the age-limit shall be between 18 and 27 years of age.	**Essential qualifications**: (i) 10th class pass from a recognised Board; (ii) Experience of driving a motor car for at least three years; (iii) possession of a valid driving license for motor cars; and (iv) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); **Desirable**: three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1**: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified **Note 2**: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not Applicable	Two years for direct recruits or re-employed

(10)	(11)
By deputation/ absorption, failing which by direct recruitment. For Armed force	**Deputation/absorption:** From amongst the regular Dispatch rider (Group 'C') and Group 'C' employees in pay level 1 (MTS) of the 7th central pay commission (₹18000-56900) in the Income Tax Appellate Tribunal who possess valid driving license for motor car on the basis of a driving test to access the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of dispatch rider on regular basis or regular Group 'C' Employees in Pay Level 1-7th Central Pay

personnel: Deputation/ re-employment	Commission ((₹18000-56900) in other ministries of the central government who fulfil the necessary qualification as mentioned in Col. 7. Deputation/re-employment for Armed Force Personnels: The Armed Force Personnel due to retire who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces and thereafter, they may be continued on re-employment **Note**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

(12)	**(13)**
Departmental Confirmation/Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Vice-President, Income-tax Appellate Tribunal Mumbai - Chairperson; 2. Member of Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai - Member; and 3. Registrar or Deputy Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai - Member	Not Applicable

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
5.**Multi-Tasking Staff.**	298*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay-matrix (₹18000-56900)	Not Applicable

(6)
Between 18 and 25 years of age. **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	**(8)**	**(9)**
Matriculation or equivalent pass	Not Applicable	Two Years

(10)	**(11)**
By direct recruitment.	Not Applicable

(12)	**(13)**
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- **1.** Vice-President, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai -Chairperson; **2.** Member of Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai -Member; **3.** Registrar or Deputy Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai -Member.	Not Applicable

[F. No. A-12018/1/2020-ADMIN-III (Part-2)/(E.149592)]

N. NAYAK, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.30 15:45:16 +05'30'